

निर्णय

2025/253

फर्द अहकाम

07.4.2025

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

लुणे खान

बनाम

सदिक आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 37 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
16.01.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 24.01.2025 को पेश हो।</p> <p>om "</p>	
21.01.2025	<p>वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र निम्नलिखित पेश करते पर प्रवावली को पेशी में लिया गया। वकुलाल फरिडेन उपस्थित। वादी व प्रवावली के बीच 8 ने दायित अकावर अमर राजी नामा पेश किया जिसे काउ तस्वीड दाखिल करके भिजा गया। प्रवावली वाले स्टेट जकार इन्डिया लॉ फीर्म 24.01.2025 को पेश हो।</p> <p>om "</p>	<p>21.01.2025</p> <p>भासपपीन</p>
24.01.2025	<p>वकुलाल फरिडेन उपस्थित। प्रवावली के स्टेट जकार पेश किया गया। दिनांक 24.01.2025 को पेश हो।</p>	<p>भासपपीन</p>
07.4.2025	<p>वकुलाल फरिडेन उपस्थित। प्रवावली का अवबोधन किया गया। प्रवावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वादी व प्रवावली के रिकार्ड के आधार पर तद्वती हकी किया जात है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से भिजा जाकर शाखिल करके भिजा जाके प्रवावली नामक के कम की जाकर काउ तस्वीड दाखिल जाकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>om "</p>	<p>भासपपीन</p> <p>Karuli</p>